पंजीकृत पावती डाक द्वारा
उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए ,चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,
गांधीनगर, गुजरात-382 010

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine Code- 07GUJ10008 Date-09/4/2018

मिसिल संख्या : GUJ/Kutch/BXT-008

प्रेषित : M/s Gujarat Mineral Development Cop. Ltd.
(A Govt.of Gujarat Ent.)
Khanij Bhavan, 132 Ft. Ring Road,
Nr.University Ground, Vastrapur,
Ahmdabad-380052.

विषय:- गुजरात राज्य के कच्छ जिले, मांडवी तालुका, रतड़िय नागरेचा गाँव में स्थित आपकी बाक्साइट खदान, सर्वे नंबर 133,262,305P, क्षेत्रफल 204.07Ha हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 14/3/2018 को प्रतिनिधि श्री एस जी पटेल, एंव खदान मैनेजर एस आर राठोर की उपस्थिती में किया गया था तथा खनिज सरक्षण एंव विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
11(1)	**No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines: -** *In your case, It was observed during inspection that Mining Operations were being carried out without approved Review of Mining Plan from 18.1.2017 to till date. The last scheme of mining was approved on 15.2.2013 for the period of 2013-14 to 2016-17 (18.1.17) but during the year 2017-18, about 33000T ROM production was achieved without approved mining plan.*
Rule 45(5)(b)	**The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner.** *In your case, you have not shown the correct stocks of mineral rejects/under size material in 2016-17 annual return in appropriate column/closing stock & 70000T dump shown whereas no recovery is possible from OB/waste dump.*
Rule 26(2)	*A yearly report before 1st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation work carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office.*
Rule 33	**The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30th June of every year**. *In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section maintained under rule 32 of MCDR, 2017 for previous year to this office till date.*
Rule 55(1) (3)	*A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules.*

P.T.O.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियांए बंद की जा सकती है, और / या आपके विरूद्व अभियोग दायर किया जा सकता है।

03.अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **45 दिन** के भीतर उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय मेंदर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.),भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त, भूविज्ञान एंव खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एंव खनिज' प्रभाग,भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो,गांधीनगर